न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठ़ासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 07/2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
हठेसिंह गोद पुत्र तनसिंह के कायम मुकाम 1 विलासकंवर पत्नी हठेसिंह 2 पुष्पेन्द्रसिंह 3 शिशुपालसिंह पिसरान हठेसिंह वादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती विलासकंवर वादी संख्या 01 जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 रतनसिंह 2 माधुसिंह 3 सुजानसिंह पिसरान थानसिंह 4 महेन्द्रसिंह 5 सुमेरसिंह पिसरान चुतरसिंह 6 अखेसिंह 7 मोहनसिंह पिसरान गुलाबसिंह 8 भंवरकंवर पत्नी गुलाबसिंह 9 उमसिंह 10 हरीसिंह पिसरान हुकमसिंह 11 नाथुसिंह 12 सुजानसिंह 13 गेनसिंह 14 नारायणसिंह 15 मदनसिंह 16 भगसिंह पिसरान हेमसिंह 17 उसवकंवर पत्नी लूणसिंह 18 कुवरकंवर पत्नी सजनसिंह 19 तगसिंह 20 रावतसिंह पुत्र सजनसिंह 21 सालमसिंह पुत्र वीरसिंह 22 गणपतसिंह पुत्र किशोरसिंह 23 नारायणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 24 उगमसिंह 25 केशरसिंह पिसरान कमलसिंह 26 रणछोडसिंह 27 हठेसिंह पिसरान गिरधरसिंह 28 जामकंवर पत्नी गिरधरसिंह 29 गेनसिंह 30 दुर्जनसिंह पिसरान भंवरसिंह 31 सरदारसिंह 32 मूलसिंह पिसरान सांवलसिंह 33 तेजमालसिंह 34 चैनसिंह 35 शेरसिंह 36 भभूतसिंह पिसरान जेतमालसिंह 37 गुलाबकंवर पत्नी जेतमालसिंह जाति राजपूत निवासी चकलानी, कवास तहसील व जिला बाडमेर 38 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री अमृतलाल जैन, वकील वादी पक्ष।
2. श्री नरेश छाजेड़, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 26.08.21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दुर्गसिंह पुत्र सादुलसिंह के वंशज है। वादी हठेसिंह को तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया। मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 43/8 रकबा 39.16 बीघा में वादीगण का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 से 16 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 से 23 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 37 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी की भूमि आई हुई है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 37 का कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के कारण कब्जे को लेकर विवाद होने से वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 43/8 रकबा 39.16 बीघा में वादीगण का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 से 16 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 से 23 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 37 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी की भूमि के खातेदार है तथा उक्तानुसार खातेदारी की घोषणा की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

वादीगण की साक्ष्य में वादीनी विलासकंवर साक्षी रतनसिंह, अखेसिंह, सुजानसिंह, शंभुसिंह को परीलक्षित कराया गया। अभिलेख के साक्ष्य में चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 चकलानी EX-1, मौका नक्शा जो EX-2, रावल मल्लीनाथ वंश 2019, जो EX-3, गोदनामा, जो EX-4 श्री हठेसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो EX-5, किये और माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाडमेर द्वारा जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति पेश की।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् प्रदर्श–01 से प्रदर्श–05 का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी हठेसिंह को तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाडमेर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 48/2020 अनवान हठेसिंह बनाम हरआम खास वगैरा में दिनांक 23.11.2020 को जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार तनसिंह पुत्र सबलसिंह के जायज वारिश विलासकंवर पत्नी हठेसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र हठेसिंह एवं शिशुपालसिं पुत्र हठेसिंह को उतराधिकारी माना गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में हठेसिंह को गोद लिख था। खातेदार तनसिंह उसकी पत्नी तथा गोदपुत्र हठेसिंह तीनों फौत हो चुके है। अब खातेदार तनसिंह के जायज वारिश गोदपुत्र हठेसिंह की विधवा पत्नी विलासकंवर एवं उसके जायन्दा पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह एवं शिशुपालसिंह होना प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब दावा, मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाकर मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 43/8 रकबा 39.16 बीघा में वादीगण का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 से 16 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 से 23 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 37 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26/8/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx